



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-50

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 279948 दिनांक 30/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Hariram Meena S/o	श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नी श्री बी.आर. शर्मा एवं श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री बी.आर. शर्मा	296	180.00 SQ. METER	JDA	KALPNA NAGAR Sector/Block-G	Name Transfer	जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड सं. जी-296 क्षं. 180.00 व.मी. का पट्टा विलेख(लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड) श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नी श्री बी.आर. शर्मा एवं श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री बी.आर. शर्मा को दिनांक 11.06.2024 को जारी किया गया। श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री बी.आर. शर्मा द्वारा (स्वयं व जरिये बहै.मु.आम श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नी श्री बी.आर. शर्मा) उक्त भूखण्ड का बेचान दिनांक 12.07.2024 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्री हरित शुक्ला पुत्र श्री सी.पी. शुक्ला को किया गया। तत्पश्चात दिनांक 22.11.2024 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्री हरित शुक्ला पुत्र श्री सी.पी. शुक्ला द्वारा भूखण्ड का बेचान श्रीमती यामिनी कौर पत्नी श्री मनीष मुटरेजा को किया गया। तत्पश्चात दिनांक 02.01.2026 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बेचान श्रीमती यामिनी कौर पत्नी श्री मनीष मुटरेजा द्वारा श्री हरिराम मीना पुत्र श्री मोज्या राम मीना को किया गया। श्री हरिराम मीना पुत्र श्री मोज्या राम मीना द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Hariram Meena S/o को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।